राजस्थान पुलिस अकादमी नेहरू नगर, जयपुर

www.rpa.rajasthan.gov.in

क्रमांकः—व—15(25)आरपीए / जन / Water / 2024 / 1166 दिनांकः— 24-2-2026

खुली बोली आमंत्रण सूचना

अकादमी परिसर में समस्त पानी की मोटरों एवं टॉयलेट, बाथरूम के सैनेटरी उपकरण मय टंकी कनेक्शन सहित पाईप लाइनों की मरम्मत (पार्ट्स सहित) वार्षिक रख—रखाव के लिए एक वर्षीय दर संविदा की जानी है, जिसके लिए मोहरबन्द बोलियाँ दिनांक 24.02.2026 को दोपहर 01.00 बजे से दिनांक 05.03.2026 दोपहर 12.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। इच्छुक निविदादात डाउलोड कर निविदा प्रारूप प्रस्तुत कर सकता है। उक्त बोली आमंत्रण सूचना **www.sppp.rajasthan.gov.in** पर अथवा **www.rpa.rajasthan.gov.in** भी देखी जा सकती है।

क्र. सं.	उपापन की विषयवस्तु का संक्षिप्त वर्णन	उपापन की अनुमानित लागत (राशि रूपये में)	बोली प्रतिभूति राशि	बोली प्रपत्रों का मूल्य	बोली खोलने की तिथि
1.	संस्था स्थित प्रशासनिक भवन एवं हॉस्टलों की पानी मोटरों एवं टॉयलेट, बाथरूम के सैनेटरी उपकरण मय टंकी कनेक्शन सहित पाईप लाइनों की मरम्मत करवाने के लिए पार्ट्स सहित (परिशिष्ट—ए)	6.00 लाख	अनुमानित लागत की 2 प्रतिशत * 12000/-Rupye	500 / — रू0 *	**05.03.2026** **दोहपर 03.00 बजे**

*-राजस्थान में अवस्थित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों हेतु बोली प्रतिभूति राशि अनुमानित लागत की 0.50 प्रतिशत होगी एवं बोली प्रपत्र निर्धारित मूल्य के 50 प्रतिशत पर उपलब्ध कराए जाऐंगे। उक्त के सम्बन्ध में बोलीदाता को सम्बन्धित वर्ग के पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त के अभाव में छूट देय नहीं होगी।

संलग्न— बोली की शर्तें, वांछित तकनीकी योग्यता एवं वित्तीय प्रपत्र।

सहायक निदेशक (प्रशासन),
राजस्थान पुलिस अकादमी,
जयपुर।

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. निजी सहायक, निदेशक, आर.पी.ए. जयपुर।
2. निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक, आर.पी.ए. जयपुर।
3. निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय राजस्थान जयपुर को 10 प्रतियों में भेजकर निवेदन है कि निविदा सूचना को तीन दिवस तक आवश्यक रूप से एक क्षेत्रीय स्तर के समाचार पत्र में प्रकाशित करावें एवं अखबार की दो प्रति इस कार्यालय में भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।
4. निजी सहायक, उप निदेशक एवं प्राचार्य, आर.पी.ए. जयपुर।
5. लेखाधिकारी, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।
6. संचित निरीक्षक (प्रशासन) राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।
7. प्रोग्रामर, आर.पी.ए. जयपुर को भेजकर लेख है कि उपरोक्त निविदा sppp पोर्टल (www.sppp.rajasthan.gov.in) एवं www.rpa.rajasthan.gov.in वेबसाइट पर मय खुली निविदा सूचना, निविदा प्रारूप एवं शर्तों के अपलोड करबाना सुनिश्चित करावें।
8. प्रभारी कैशियर, आर.पी.ए. जयपुर।
9. नोटिस बोर्ड, आर.पी.ए. जयपुर।

सहायक निदेशक (प्रशासन),
राजस्थान पुलिस अकादमी,
जयपुर।

राजस्थान पुलिस अकादमी नेहरू नगर, जयपुर

www.rpa.rajasthan.gov.in

।।कार्यालय निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।।

निविदा प्रपत्र (तकनीकी बिड)

1. कार्य का नामः– **अकादमी परिसर में समस्त पानी की मोटरों एवं टॉयलेट, बाथरूम के सैनेटरी उपकरण मय टंकी कनेक्शन सहित पाईप लाइनों की मरम्मत (पार्ट्स सहित) वार्षिक रख–रखाव निविदा वर्ष 2025–26**
2. निविदा संख्या /2025–26 दिनांक.....................
3. निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर के पते पर निविदा प्रस्तुत की जावें।
4. (i) निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम व डाक का पूरा पता ई–मेल सहितः–
   ....
   ई–मेल आई.डी..
   (ii) अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम...मोबाईल नं....................
5. निविदा शुल्क हेतु निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर के पक्ष में देय रूपये 500/– का बैंकर चैक/ड्राफ्ट/रसीद संख्या/ ....दिनांक...............संलग्न है।
6. बोली प्रतिभूति हेतु निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर के पक्ष में देय राशि रू. 12000/–का बैंकर चैक/ड्राफ्ट संख्या....................... दिनांक ....संलग्न है।
7. निविदादाता द्वारा निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करना आवश्यक है।
8. निविदा पूर्ण रूप से सील पैक करके प्रस्तुत करनी होगी स्टेपलर से सील की हुई मान्य नहीं होगी
9. निविदा खुलने की तिथि से दरों की विधि मान्यता अवधि 90 दिवस होगी।
10. निविदादाता द्वारा निम्नलिखित प्रमाण–पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक हैः–

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	फर्म का पंजीयन प्रमाण पत्र	
2.	फर्म का नाम पता ई–मेल सहित मोबा. नं.	
3.	PAN Card व Address Proof प्रमाण पत्र	
4.	GST पंजीयन प्रमाण पत्र	
5.	उक्त कार्य से संबधित राजकीय कार्यालय का अनुभव प्रमाण–पत्र/कार्यादेश	
6.	बोलीदाता द्वारा तीन वित्तीय वर्षो 2022–23, 2023–24 एवं 2024–25 में वार्षिक राशि 10.00 लाख का टर्नऑवर प्रस्तुत करना होगा टर्नऑवर सी.ए. द्वारा प्रमाणित होना चाहिए जिस पर UDIN नंबर अंकित हो। बिना नम्बर के टर्नऑवर प्रमाण–पत्र स्वीकार्य नहीं होगा।	
7.	बोलीदाता को बोली की दिनांक से गत 03 वर्षो में राज्य सरकार अथवा उपापन संस्था द्वारा काली सूची में डाला/विवर्जित/अयोग्य घोषित नहीं होना चाहिए **(राशि रूपये 100/–के गैर न्यायिक मुद्रांक पत्र पर इस बाबत् स्वयं के हस्ताक्षरित शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा)**	

निविदा के साथ उपरोक्तानुसार प्रासांगिक प्रमाण–पत्र ही प्रस्तुत किये जावे तथा उपरोक्त सारणी के निर्धारित कॉलम में पृष्ठ संख्या आवश्यक रूप से अंकित की जावे। निविदादाता अंकित की गयी पृष्ठ संख्या पर सम्बन्धित प्रमाण–पत्र उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किया हुआ माना जायेगा।

11. निविदा सूचना संख्या   /2025–26 दिनांक ....राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर द्वारा जारी की गई है इसमें वर्णित समस्त शर्तो का पालन करने के लिये हम सहमत है। निविदा की अन्य शर्ते, जो संलग्न पृष्ठो में दी गई है। इन समस्त पृष्ठों पर वर्णित शर्तो को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रतीक स्वरूप हमने हस्ताक्षर कर दिये है, तथा इनका पालन करने के लिए हम सहमत है।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

राजस्थान पुलिस अकादमी नेहरू नगर, जयपुर

www.rpa.rajasthan.gov.in

अकादमी परिसर में समस्त पानी की मोटरों एवं टॉयलेट, बाथरूम के सैनेटरी उपकरण मय टंकी कनेक्शन सहित पाईप लाइनों की मरम्मत (पार्ट्स सहित) वार्षिक रख–रखाव एक–वर्षीय दर संविदा हेतु आमंत्रित की जाने वाली बोलीदाता की योग्यताऐं एवं सामान्य शर्ते :–

1. बोलियाँ ऑफलाइन माध्यम से द्वि–पद्वति (द्वि–भाग) तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड़ से प्राप्त की जावेगी। तकनीकी बिड मे योग्य पाये गये बोलीदाताओ की ही वित्तीय बिड खोली जावेगी।
2. बोलीदाता को बोली की दिनांक से गत 03 वर्षो में राज्य सरकार अथवा उपापन संस्था द्वारा काली सूची में डाला/विवर्जित/अयोग्य घोषित नही होना चाहिए। **(राशि रूपये 100/– के गैर न्यायिक मुद्रांक पत्र पर इस बाबत् स्वयं हस्ताक्षरित शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।)**
3. बोलीदाता के पास 3 वित्तीय वर्षो 2022–2023, 2023–24 व 2024–25 मे राशि रूपयें 10.00 लाख का औसत टर्नओवर होना चाहिए। **(तीन वित्तीय वर्ष 2022–2023, 2023–24 व 2024–25 के सनदी लेखाकार द्वारा अंकेक्षित व्यापार खाता अथवा सनदी लेखाकार द्वारा जारी टर्नओवर का प्रमाण–पत्र संलग्न करें जिस पर UDIN नम्बर अंकित हो।)**
4. बोली दाता के पास आयकर पैन नम्बर होना आवश्यक है।**(पेन कार्ड की स्व–सत्यापित छायाप्रति अपलोड करें।)**
5. फर्म का जी.एस.टी में रजिस्टर्ड होना आवश्यक है। **(GST रजिस्ट्रेशन की स्वप्रमाणित छायाप्रति अपलोड करें।)**
6. बोली के साथ संलग्न संलग्नक A, B,C एवं D **(बोली के साथ संलग्न A, B,C एवं D अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करने होंगे।)**
7. बोलीदाता को उक्त कार्य का कार्यानुभव होना आवश्यक है। अनुभव की पुष्टि हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 एवं 2024–25 का निर्धारित अवधि में जारी कार्यादेश अथवा कार्यानुभव प्रमाण–पत्र/राजकीय कार्यालय द्वारा जारी कार्यादेश की प्रति संलग्न करनी होगी।
8. फर्म संबधित कार्य हेतु प्रशिक्षित अनुभवी कार्मिक की व्यवस्था करेगा उक्त कार्मिक कभी भी जरूरत पड़ने पर उपस्थित रहेगा। फर्म द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्मिक का आधार कार्ड, तकनीकी योग्यता की सत्यापित प्रति संस्था को अनुबंध के समय प्रस्तुत करना होगा।
9. यदि किसी कारणवंश कर्मी अनुपलब्ध होता है तो फर्म त्वरित रूप से समकक्ष प्रतिस्थापन सुनिश्चित करेगा, प्रतिस्थापन के दौरान सेवा में कोई व्यवधान होने का उत्तरदायित्व फर्म को होगा। उक्त के लिए फर्म को अलग से कोई भी भुगतान देय नहीं होगा।
10. उपयोग की जाने वाली पाईप, फिटिंग्स, वाल्व आदि आईएसआई मार्क युक्त एवं प्रथम श्रेणी की गुणवत्ता के होगें।
11. फर्म को अनुबन्धित दरों के अतिरिक्त कोई भुगतान देय नहीं होगा।

12. बोलीदाताओं को निर्धारित शुल्कों को अनुसूचित बैंक द्वारा जारी डी.डी./बैंकस चैक (जो निदेशक, RPA, के नाम से है।) के माध्यम से जमा करना होगा। उक्त के अभाव में प्राप्त बोली पर विचार नही किया जावेगा।
13. सफल बोलीदाता/अनुबन्धकर्ता द्वारा अनुबन्ध को किसी अन्य फर्म को सबलेट नही किया जा सकेगा।
14. सशर्त बोलियाँ अस्वीकार्य होगी।
15. सफल बोलीदाता को बोली अधिस्वीकृति पत्र जारी होने के पन्द्रह दिवस के भीतर नियमानुसार 500 रूप्ये के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर स्वयं के व्यय पर अनुबन्ध करना होगा।
16. सफल बोलीदाता द्वारा कार्य–सम्पादन प्रतिभूति के रूप में अनुमानित लागत की 5 प्रतिशत राशि राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम–2013 के अनुसार बोली स्वीकार किये जाने की तिथि से 15 दिवस के भीतर अनुसूचित **बैंक द्वारा जारी डी.डी. /एफडीआर/बैंक गारण्टी (जो निदेशक, आरपीए जयपुर के नाम से देय हो)** से जमा करानी होगी। अनुबन्ध सफलता पूर्वक समाप्ति के पश्चात् कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि अनुबन्धकर्ता को लौटा दी जावेगी। इस पर कोई ब्याज देय नही होगा।
17. दर संविदा की अवधि 1 वर्ष होगी, जिसे नियमानुसार बढ़ाया जा सकेगा।
18. संविदा अवधि मे सफल बोलीदाता एवं आरपीए के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो निदेशक, आरपीए जयपुर का निर्णय अन्तिम होगा।
19. सभी प्रकार के कानूनी वाद जयपुर स्थित न्यायालयों मे ही प्रस्तुत किये जा सकेगें।
20. अनुबन्ध अवधि के दौरान सामग्री/सामान की दरें स्थिर रहेगी। इनमे किसी प्रकार की वृद्धि स्वीकार्य नही होगी। दरों मे कमी के सम्बन्ध मे राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता नियम–2013 का नियम 29 (2–ज) प्रभावी होगा।
21. उपाप्त की जाने वाली सामग्री/सेवा हेतु दरें संलग्न वित्तीय प्रस्ताव में ही अंकित की जानी है। दरें, अंको एवं शब्दों मे अंकित की जानी चाहिए। दरें प्रति इकाई/ एक मुश्त रूपयें मे अंकित की जानी चाहिए। दरों में शब्दों एवं अंको के मध्य विसंगति होने की स्थिति में आरटीपीपी नियम 2013 के नियम 64 (ग) के अनुसार निर्णय लिया जावेगा।
22. अनुबन्ध अवधि में आदेशित सामान/सेवा की आपूर्ति कार्यादेश जारी तिथि से 03 दिवस मे नहीं करने पर सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के प्रावधान के अनुसार परिनिर्धारित नुकसानी संवेदक से वसूलनीय होगी।
23. अनुबन्धकर्ता द्वारा यदि सामग्री/सेवा आपूर्ति नहीं की जाती है, कम मात्रा में आपूर्ति की जाती है अथवा घटिया गुणवत्ता की सामग्री/सेवा की आपूर्ति की जाती है तो संवेदक की रिस्क एवं कोस्ट पर खुले बाजार से क्रय/कार्य कर लिया जावेगा तथा अन्तर राशि (यदि कोई हो) की वसूली संवेदक को देय राशि अथवा संवेदक द्वारा जमा कराई गई कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि मे से कर ली जावेगी।

24. अपूर्ण/असंतोषजनक/घटिया गुणवत्ता की आपूर्ति करने अथवा आपूर्ति नहीं/विलम्ब से किए जाने पर अनुबन्ध को निरस्त किया जाकर प्रतिभूति राशि जब्त कर संवेदक को अयोग्य घोषित/काली सूची में डाला जा सकता है।
25. बोली खुलने के पश्चात् यदि कोई बोलीदाता उसके द्वारा प्रस्तुत की गयी दरों को वापस लेता है या अनुबन्ध पश्चात् कार्य प्रारम्भ नहीं करता है तो बोली प्रतिभूति/कार्य–सम्पादन प्रतिभूति राशि (जैसी भी स्थिति हो) को जब्त कर बोलीदाता/संवेदक के विरूद्व नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।
26. सर्वप्रथम बोलीदाताओ की तकनीकी बिड समिति द्वारा खोली जावेगी। तकनींकी बिड मे सफल पाये गये बोलीदाताओं की ही वित्तीय बिड खोली जावेगी। बोलीदाताओ द्वारा **"वित्तीय प्रस्ताव"** में प्रस्तुत दरों के आधार पर समग्र रूप से न्यूनतम दरदाता का निर्धारण किया जावेगा।
27. राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम–2012 व नियम–2013 में वर्णित प्रक्रिया अनुसार बोलीदाताओं से बातचीत भी की जा सकती है।
28. "वित्तीय प्रस्ताव" मे वर्णित मात्रा अनुमानात्मक है अकादमी मे कार्य की आवश्यकता के दृष्टिगत इनमें कमी अथवा नियमानुसार वृद्धि की जा सकती है, जिसके लिए स्वीकृत दरों से भुगतान किया जावेगा। न्यूनतम मात्रा के उपापन की कोई गारन्टी नही होगी।
29. संस्था परिसर के विभिन्न अनुभागों/हॉस्टलों में टॉयलेट वासबेशिन, बाथरूम इत्यादि में लगे उपकरणों की मरम्मत एवं सेनेट्री से संबधित समस्त प्रकार की पाईप लाईनों टंकी कनेक्शनों की समस्त प्रकार का कार्य उपकरणों (पार्ट्स सहित) करना होगा जो निविदा में अंकित दरों में शामिल है। जिसका किसी प्रकार का अतिरिक्त प्रभार देय नहीं होगा।
30. यह आवश्यक नहीं है कि एक ही बोलीदाता से अनुबन्ध किया जावें, अकादमी स्वविवेक से एक से अधिक बोलीदाताओं से समान दरों पर अनुबन्ध कर सकती है। समान/ सामग्री/कार्य के लिए एक से अधिक बोलीदाताओं से भी समान दरों पर अनुबन्ध किया जा सकता है।
31. अत्यन्त अव्यवहारिक दरें प्राप्त होने की दशा मे यह आवश्यक नही है कि न्यूनतम दर वाले बोलीदाताओं की दरों को स्वीकार किया जावे। सक्षम समिति बोलीदाता द्वारा दरों की औचित्यता के आधार पर न्यूनतम से अन्य बोलीदाता की दरें भी स्वीकार कर सकती है।
32. निदेशक, आरपीए द्वारा अनुबन्ध की अवधि के दौरान किसी भी कारण से अवगत कराते हुये या बिना कारण अवगत कराये 30 दिवस का नोटिस देकर अनुबन्ध को समाप्त किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में बोलीदाता को किसी प्रकार का हर्जा–खर्चा नहीं दिया जायेगा।

33. अनुबंधकर्ता द्वारा अगर किसी भी प्रकार का चार्ज अतिरिक्त मांगा जायेगा तो देय नहीं होगा।
34. कार्य के संतोषजनक पूर्ण होने की पृष्टि स्वरूप संबधित प्रभारी से सेवा रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
35. अनुबन्ध अवधि सफलता पूर्वक पूर्ण करने एवं सभी मोटर, सैनेटरी उपकरण टंकी कनेक्शन, पाईप लाईन सही हालत में संभलाने/सुपुर्दगी पश्चात् ही अन्तिम तिमाही के बिल का एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति का भुगतान किया जावेगा।
36. वार्षिक रख–रखाव की अनुमोदित वार्षिक दर का (चार समान भागों में) प्रत्येक तिमाही पश्चात् प्रस्तुत बिल का सक्षम प्रमाणीकरण के आधार पर भुगतान किया जावेगा।
37. अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा दिये जाने वाले आदेश की पालना में एवं उच्चाधिकारियों के मौखिक निर्देशानुसार कार्य 3 दिवस में करना अनिवार्य होगा।
38. बोलीदाता द्वारा किसी शर्त का उल्लंघन करने पर अथवा योग्यता नहीं रखने पर बोली निरस्त/अनुबन्ध समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकती है।
39. बोली पूर्व स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की जानकारी/स्पष्टीकरण अकादमी जयपुर (सामान्य शाखा) एवं बोली प्रपत्र मे किसी प्रकार का परिवर्तन Portal पर प्रदर्शित कर दिया जावेगा। (नियम 46 एवं 47 अनुसार)
40. बोलीदाताओं को राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम–2012 एवं नियम 2013 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार सत्यनिष्ठा संहिता की पालना किया जाना अनिवार्य होगा।
41. राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम–2013 की धारा-38 के तहत् कोई भी बोलीदाता अथवा भावी बोलीदाता जिसे यह प्रतीत होता है, कि इस बोली का कोई प्रावधान या कृत्य इस अधिनियम के प्रतिकूल है, तो वह प्रथम अपील अधिकारी **उप महानिरीक्षक पुलिस एवं अतिरिक्त निदेशक आरपीए, जयपुर** के समक्ष अपील कर सकता है। साथ ही समान उद्देश्य (अपील) के लिए प्रावधान अनुसार द्वितीय अपील अधिकारी निदेशक, आरपीए जयपुर के समक्ष अपील कर सकता है(अनुलग्नक–'स')। प्रथम एवं द्वितीय अपील अधिकारी के समक्ष अपील करने हेतु निर्धारित शुल्क क्रमशः राशि रूपये 2500/– एवं राशि रूपये 10000/– निर्धारित है, जो अपीलकर्त्ता को अपील के साथ बैंक ड्राफ्ट के रूप में (जो निदेशक, आरपीए जयपुर के नाम देय हो) संलग्न करनी होगी। अपील के साथ जमा कराई जाने वाली फीस अप्रतिदाय होगी।
42. किसी भी बोलीदाता द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम–2013 के नियम 81 (3) में वर्णित हित का विरोध की स्थिति में नहीं होना चाहिए।
43. कार्य सम्पादन के दौरान द्वितीय पक्ष द्वारा कार्य हेतु उपलब्ध कराए गए किसी श्रंमिक को कोई शारीरिक अथवा मानसिक हानि होती है, जो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी

अनुबन्धकर्त्ता की होगी। अकादमी की किसी परिसम्पत्ति की हानि उक्त कार्य के कारण होती है तो उक्त नुकसान/हानि की वसूली अनुबन्धकर्त्ता से की जा सकेगी।

44. राजस्थान उपापन में पारदर्शिता अधिनियम–2012 एवं नियम–2013, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम में वर्णित प्रावधान एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये जाने वाले दिशा–निर्देश/आदेश जो इस बोली हेतु प्रासंगिक हो अकादमी एवं सफल बोलीदाता द्वारा मान्य एवं बाध्यकारी होंगें।

सहायक निदेशक (प्रशासन)
राजस्थान पुलिस अकादमी,
जयपुर

Annexure A: Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall –

(a) Not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) Not misrepresent or omit any fact that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

(c) Not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(d) Not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) Not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

(g) disclose conflict of interest, if any and

(h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest :-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict ofinterest.

A conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that partys performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

(i) A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to :

a. Have controlling partners/ shareholders in common; or
b. Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
c. Have the same legal representative for purposes of the Bid ;or
d. Have a relationship with each other; directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
e. The Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
f. The Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

Date :

Place :

Signature of bidder

Name :

Designation :

Address :

Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to .... for procurement of .... in response to the Notice Inviting Bid No.............. Dated ....I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that :

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence as is required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statement or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings ;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date :

Place :

Signature of bidder

Name :

Designation :

Address :

Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is

____

The designation and address of the Second Appellate Authority is

____

(1)Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to the First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved :

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings.

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by aBidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2)The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3)If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to the Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4)Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely :-

(a) Determination of need of procurement.
(b) Provisions limiting participation of Bidders in the Bid process.
(c) The decision of whether or not to enter into negotiations.
(d) Cancellation of a procurement process.
(e) Applicability of the provisions of confidentiality.

(5)Form of Appeal

(a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as the number of are respondents in the appeal.
(b)Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
(c)Every appeal may be presented to the First or Second appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6)Fee for filing appeal

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal it shall be rupees ten thousand, and this shall be non-refundable.
(b)The fee shall be paid in the form of bank demand draft or bankers cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of concerned Appellate Authority.

(7) Procedure for disposal of appeal

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
(b)On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall –
(i)hear all the parties to appeal present before him: and
(ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.
(c)After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of this order to the parties to appeal, free of cost.
(d)The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Form No.1

(See rule 83)

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement
Act, 2012

Appeal No..........of.............

Before the ....(First/ Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant :
   (i) Name of the appellant :
   (ii)Official address, if any :
   (iii) Residential address :
2. Name and address of the respondent (s):
   (i)
   (ii)
   (iii)
3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/ authority who passed the order (enclose a copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved :
4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative :
5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal :
6. Grounds of appeal
   ....
   ....
   ....(Supported by an affidavit)
7. Prayer :..
   ....
   ....

Place ....

Date ....

Appellants Signature

Annexure D: additional conditions of contract

1. **Correction of arithmetical errors**
   Provided that a financial bid is substantially responsive, the procuring entity will correct arithmetical errors during evaluation of financial bids on the following basis:
   I. If there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the procuring entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price. In which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected:
   II. If there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected and
   III. If there is discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case he amount n figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

   If the bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be expected.
2. **Correction of arithmetical errors**
   (i) At the time of award of contract, the quantity of goods, works or. Services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in ne Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the condition of contract.
   (ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation. except otherwise provided in the Conditions of Contract.
   (iii) in case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of the Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the supplier fails to do so, the procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.
3. **Dividing quantities among more than one Bidder at time of award (In case of procurement of Goods)**
   As general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However When it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical aid vial nature. In such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the-second lower Bidder or even more Bidder, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

राजस्थान पुलिस अकादमी नेहरू नगर, जयपुर

www.rpa.rajasthan.gov.in

वित्तीय प्रस्ताव

परिशिष्ट–ए

क्र.सं.	विवरण	वर्षिक दर एक मुश्त	दर जी.एस.टी.	कुल योग
1.	समर्सिबल मोटर 12.5 HP (06 नग)			
2.	समर्सिबल मोटर 10 HP (04 नग)			
3.	मोनो ब्लॉक मोटर 05 HP (02 नग)			
4.	समर्सिबल मच्छी मोटर 05 HP (02 नग)			
5.	समर्सिबल मच्छी मोटर 02 HP (03 नग)			
6.	मोनो ब्लॉक मोटर 01 HP (10 नग)			
7.	संस्था परिसर में समस्त पानी मोटरो उपरोक्त सहित एवं टॉयलेट, बाथरूम के सेनेट्री उपकरण मय टंकी कनेक्शन समस्त पाईप लाईन वार्षिक रख–रखाव (पार्ट्स सहित) सहित			

नोट :– 1. जीएसटी (यदि लागू हो) उल्लेख करें, उक्त दरे जी.एस.टी. सहित है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

नामः–..

पताः–..

मोबाइल / दूरभाषः–.................................